BENCH No. - 16

मण्डल दण्डाधिकारी का न्यायालय, धालभूम, जमशेदपुर।

मिस केस संख्या- 278 /2020

धारा-107 दं0प्र0सं0

राजु देवी शर्मा सं. अभि-4 -बनाम- हरि दास सं. अभि-5

	आदेश	
12/3/2022	अभिलेख आज राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थापित किया गया है। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है, कि प्रस्तुत वाद में दोनों/~~द्वितीय~~ पक्ष के विरुद्ध निर्गत नोटिस का तामिला प्रतिवेदन ~~प्राप्त~~/अप्राप्त है। इस वाद की कार्यवाही आरंभ होने के उपरान्त छह महीने से अधिक समय बीत चुका है। धारा-107 दं0प्र0सं0 की कार्रवाई की वैधानिक अवधि मात्र छह माह का होता है। पुनः थाना अथवा अन्य किसी श्रोत्र से शांति भंग होने की आशंका की कोई सूचना/प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। अतः विचारोपरन्त वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। यदि पक्षकार के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट निर्गत है, तो उसे वापस लिया जाता है। 12/3/22 Member 12/3/22 Member	

Digitally signed by SANDEEP KUMAR MEENA
Date: 2022.09.20 21:19:52 +05:30
Location: 192.168.1.9